2·28

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रूद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, थराली (चमोली)।

पत्रांकः 469 /जि0टा0फो0/मोटर मार्ग/2014–15, दिनांक 11 फरवरी 2015

विषयः **जनपद चमोली मे जिला योजना वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के कि0मी0 01 मे 500 मीटर से राजकीय इण्टर कॉलेज तलवाड़ी हेतु (वास्तविक कुल लम्बाई 700 मी0) मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 241/1 सी0, दिनांक 05.02.2015, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मोटर मार्ग समरेखण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या आपके सुलभ संदभार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
11/2/15
सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0/मोटर मार्ग/2014–15 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सत्य प्रति प्रमाणित

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

जनपद चमोली मे जिला योजना वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के कि0मी0 01 मे 500 मीटर से राजकीय इण्टर कॉलेज तलवाड़ी हेतु (वास्तविक कुल लम्बाई 700 मी0) मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली के पत्र संख्या 241/1 सी0, दिनांक 05.02.2015, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली मे जिला योजना वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के कि0मी0 01 मे 500 मीटर से राजकीय इण्टर कॉलेज तलवाड़ी हेतु (वास्तविक कुल लम्बाई 700 मी0) मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण श्री मनोज कुमार कोटला, अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :–

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण स्थल, थराली–ग्वालदम मोटर मार्ग के मध्य 12 कि0मी0 से तलवाड़ी महाविद्यालय हेतु पहुँच मार्ग के लगभग 500 मीटर से मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है जिसमें मोटर मार्ग समरेखण की कुल लम्बाई 700 मीटर प्रस्तावित की गयी है। मोटर मार्ग समरेखण पहाड़ी ढालयुक्त भूआकृति के साथ सिविल भूमि के रूप मे अवस्थित है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण 01 एच0पी0 बैण्ड के साथ एक ही पहाड़ी ढाल पर किया जाना है। मोटर मार्ग समरेखण मे उच्च हिमालयी प्रजाति के वृक्षों का घना वन क्षेत्र अवस्थित है जिसमें बांज इत्यादि स्थानीय प्रजाति के वृक्ष उगे हुये दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कतिपय स्थलों पर मृदा की गहराईयुक्त परत विद्यमान है जिसमें स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के रूप मे दृष्टिगोचर हो रहा है।

स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 20^{0}–30^{0} विद्यमान है जिसमें पहाड़ी ढाल की दिशा सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण मे लगभग उत्तर, उत्तरपश्चिम फेसिंग विद्यमान है। मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् अपस्लोप व डाउनस्लोप के स्थल आंशिक प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित हो जाता है। सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण पहाड़ी ढालयुक्त क्षेत्र है। मोटर मार्ग समरेखण तलवाड़ी महाविद्यालय मोटर मार्ग के कि0मी0 01 के मध्य 500 मीटर से एक हेयरपिन बैण्ड के निर्माण से राजकीय इण्टर कॉलेज तलवाड़ी तक निर्मित किया जाना है।

समरेखण के निचले भूभाग पर आवासीय भवन विद्यमान है जिसकी सुरक्षा हेतु मोटर मार्ग कटाव के दौरान उत्सर्जित मलवे को निचले पहाड़ी ढाल पर न फैलाया जाय। वर्षाकाल मे स्थल पर अधोभूमि जल रिसाव व सतही जल प्रवाह की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है जिससे स्थल पर मृदा अपरदन की सम्भावना मे वृद्वि हो सकती है। वर्तमान समय मे स्थल की सतह पर स्वस्थानें चट्टानों के आउटक्रॉप का पूर्ण अभाव पाया गया। स्थल पर तीव्र अपयक्षन के कारण फ्रेश स्वस्थानें चट्टानों का पूर्ण अभाव है। स्थल से कुछ दूरी पर अधोभूमि स्थित शिष्ट चट्टानों के रोड़ कटाव के कारण अर्द्धअपयक्षित चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। स्थल की अधोभूमि अवस्थित चट्टानों को लेसर हिमालयी समूह की चट्टानों मे वर्गीकृत किया गया है। स्थल पर चट्टानों के अपयक्षन से मृदा की प्रोफाइल का निर्माण हो रहा है।

सत्यप्रति प्रमाणित

उक्त स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. चूंकि उक्त स्थल भूकम्पीय जोन–V मे अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।

3. मोटर मार्ग समरेखण मे विस्फोटकों का प्रयोग परमिसिविल लिमिट तक किया जाय।

4. मोटर मार्ग कटाव के बाद टो सपोर्ट वाल का निर्माण आवश्यक होगा ताकि लम्बे कटाव अन्तराल से भूकटाव वाले भूभाग (मदर स्वाइल) पुनः स्थिर हो सके।

5. उक्त मोटर मार्ग समरेखण मे अधिकांश भूभाग मृदा बाहुल्य क्षेत्र के रूप मे विद्यमान है अतः मोटर मार्ग कटाव मे स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित व लॉजिकल सिद्वान्तों का प्रयोग करते हुए मोटर मार्ग निर्माण कार्य किया जाय।

6. मोटर मार्ग के अपस्लोप व डाउनस्लोप मे रिटेनिंग व ब्रेस्टवालों का निर्माण (वीप होल्स सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) किया जाय।

7. पर्वतीय क्षेत्र मे मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

8. वर्षाकाल के दौरान अपस्लोप से होने वाले अधोभूमि जल रिसाव को सुरक्षित ढंग से नियंत्रित कर दूर किसी सुरक्षित नालों/स्थानों पर छोड़ा जाय।

9. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्का कर सतही जल प्रवाह/अधोभूमि जल रिसाव को अन्दरूनी पहाड़ी ढाल की दिशा मे पक्की ड्रेनेज नालियों द्वारा नियन्त्रित कर सतही जल प्रवाह को सुरक्षित स्थल/नालों मे छोड़ा जाय।

10. पूर्व ओरवलोडेड व मोटर कटाव से निर्मित तीव्र मलवा ढालों को टो सपोर्ट शीघ्र दिया जाय ताकि वर्षाकाल मे मड/मृदा/मलवा, समीप की आबादी व कृषियुक्त भूमि को असुरक्षित न करे।

11. मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर जहॉ आवश्यक हो समुचित पौधों का रोपण किया जाय जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके।

12. समरेखण में बनाये जाने वाले सुरक्षा धारक दीवारें/टो वाल, ब्रेस्टवाल, रिटेनिंग वाल (वीप हॉल सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) के आधार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थलों में जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि जल, दीवार के आधार की ओर न जाने पाय तथा ढालदार क्षेत्र के सतही एवं अन्तर सतही जल को चैनलाइज करने हेतु उचित प्रबन्ध पूर्व में ही किये जांय।

13. अन्कन्सॉलिडेटेड मृदा/मलवायुक्त भूभागों मे मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्की टो सपोर्ट व मजबूत रिटेनिंग/ब्रेसवाल (वीप हॉल व स्क्रीनिंग मटिरियलयुक्त) का निर्माण किया जाय।

सत्यप्रति प्रमाणित

14. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मटिरियल को पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर सुरक्षित स्थल पर निक्षेपित किया जाय जिससे वर्षाकाल के दौरान मड / डेबरी फ्लो की सम्भावना को न्यून किया जा सके।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों मे मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।

सत्यप्रति प्रमाणित

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक